



न्यायालय:- अंचल अधिकारी, गाँवा जिला-गिरिडीह

आदेश फलक

वाद का प्रकार

अभिलेख सं०- 12/2019-20

आदेश का क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
13.02.2024	<p>यह अभिलेख राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा पिहरा थाना नं० 371 खाता नं०-214, प्लॉट नं०- 4979, रकवा 0.12 एकड़ भूमि चुंआली मियों के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है जो रैयती खाते की है। संलग्न केवाला सं० 4060 दिनांक 19.07.2008 द्वारा भगवती देवी पति संतोष कुमार ग्राम पिहरा थाना सं० 371 खाता सं०-214/85 प्लॉट नं०-4979 रकवा-2.5 डी० अंकित है। जिस पर एक कच्चा खपड़ा पोश कमरा वो बरामदा बना हुआ है। यह भूमि 21 वर्ष पुराना खरीद की गई है। जमाबंदी पंजी 2 के पृष्ठ सं०-169/22 पर भगवती देवी के नाम से कायम है। लगान रसीद 2020-21 तक निर्गत है। प्रश्नगत भूमि का केशो साव पिता-स्व० मोती साव के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि पर पुराना कच्चा खपड़ा पोश एक कमरा वो बरामदा बना हुआ है। चूंकि भूमि रैयती खाते की है। उभय पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।</p> <p>अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अंचल अधिकारी गाँवा</p> <p> अंचल अधिकारी गाँवा।</p>	